संख्याः–666 /XIV-1/11–5(8)/2011

प्रेषक,

अजय सिंह नबियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सम्बन्धित जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादून दिनॉक 03 जून, 2011

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये सहकारिता विभाग की आयोजनागत पक्ष में जिला योजना (टी0एस0पी0) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के पत्र संख्याः–111/नियो0/जिला योजना/2010–11 दिनांक 06 अप्रैल, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में सहकारिता विभाग के अर्न्तगत आयोजनागत पक्ष में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित जिला योजना समितियों (टी0एस0पी0) हेतु कुल **₹ 16,62,000/– (रूपये सोलह लाख बासठ हजार मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की संलग्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल निम्नाकिंत शर्तों के तहत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय ।

(2) सभी कार्यक्रमों की वार्षिक/मासिक लक्ष्यों का निर्धारण धनराशि के आहरण पूर्व तत्काल किया जाय तथा उक्त निर्धारित लक्ष्यों को वित्त, नियोजन विभाग को भी अवगत कराया जाय।

(3) उक्त धनराशि ऐसे किसी मद/कार्य पर धनराशि व्यय न की जाय जो योजना में स्वीकृत नही है, यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अलग मद में किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(4) उक्त धनराशि का योजनावार व्यय प्रत्येक माह या अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग एवं शासन तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड को भिजवाना सुनिश्चित करें।

(5) उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो।

प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(6) यह सुनिश्चित किया जाय कि गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय विवरण सहित शासन/महालेखाकार उत्तराखण्ड को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करा दी जाय।

(7) समितियों को अनुदान/राज सहायता/अंशदान दिये जाने से पूर्व सम्बन्धित नियमों, मानकों/शासनादेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

2– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–31 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता–आयोजनागत–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना (लघुशीर्षक 03, 04 एवं 06), 6425–सहकारिता के लिये कर्ज– आयोजनागत–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (लघुशीर्षक 03) के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/**XXVII** (1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(अजय सिंह नबियाल)
सचिव।

संख्याः– 666 (1)/**XIV**–1/2011,तददिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री सहकारिता, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त गढ़वाल,/कमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
5. अपर निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तराखण्ड।
6. उप निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्डअल्मोडा।
7. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित जिला सहायक निबन्धक, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग–4/नियोजन/समाज कल्याण विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
11. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
उपसचिव

शासनादेश संख्याः- 666 /XIV-1/10-5(8)/2011, दिनांक 02 जून, 2011 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समितियों से अनुमोदित जिला योजना के आधार पर जिला योजना (टी0एस0पी0) हेतु आय-व्ययक में उपलब्ध बजट के सापेक्ष जनपदों को आवंटित धनराशि का लेखाशीर्षकवार विवरण।

(धनराशि रूपये हजार में)

योजना/मद का नाम	नैनीताल	उ0सिं0 नगर	बागेश्वर	पिथौरागढ	देहरादून	चमोली	उत्तरकाशी	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
अनुदान संख्या-31								
2425- सहकारिता-आयोजनागत 796- जनजाति उपक्षेत्र योजना 03- जनजाति उपक्षेत्र योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों को अनुदान 20- सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	100	445	7	52	493	60	1	1158
04- अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अंश क्रय हेतु अनुदान 20- सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	0	0	0	0	2	0	0	2
06- सहकारी क्रय-विक्रय योजनान्तर्गत सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता 20- सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	0	0	0	0	500	0	0	500
योग	100	445	7	52	995	60	1	1660
6425- सहकारिता के लिए कर्ज 796- जनजातिं उपक्षेत्र योजना 03- सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना हेतु अनुसूचित जनजाति सूचित जनजाति के सदस्यों को ब्याज रहित ऋण 30- निवेश ऋण	0	0	0	0	2	0	0	2
योगः-	0	0	0	0	2	0	0	2
महायोग	100	445	7	52	997	60	1	1662

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
उपसचिव।